संख्या-11/2017/2150/60-1-17-1/13(94)/17

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-1 **लखनऊ: दिनांक: 01 अगस्त, 2017**

विषयः- किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा-51 के अंतर्गत उपयुक्त सुविधा (FIT FACILITY) एवं उपयुक्त व्यक्ति (FIT PERSON) को मान्यता प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा-51 के अंतर्गत उपयुक्त सुविधा (FIT FACILITY) एवं उपयुक्त व्यक्ति (FIT PERSON) को किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति द्वारा मान्यता प्रदान किये जाने का प्राविधान दिया गया है तथा किशोर न्याय नियमावली, 2016 के नियम-27 तथा नियम-28 में क्रमशः उपयुक्त सुविधा एवं उपयुक्त व्यक्ति के चयन के नियम अंकित हैं।

उपयुक्त सुविधा एवं उपयुक्त व्यक्ति के चयन हेतु किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) आदर्श नियम-2016 के नियम-27(2) के अंतर्गत प्रारूप-38 पर आवेदन पत्र का प्रारूप दिया गया है तथा प्रारूप-39 पर उपयुक्त सुविधा (FIT FACILITY) की मान्यता का प्रमाण-पत्र का प्रारूप भी अंकित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जिलाधिकारी स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार वाले दो दैनिक समाचार-पत्रों में उपयुक्त सुविधा (FIT FACILITY) एवं उपयुक्त व्यक्ति (FIT PERSON) के चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशित कराकर पात्र संस्थाओं एवं व्यक्तियों से आवेदन-पत्र प्राप्त कर जिला स्तर पर कमेटी गठित कर प्राप्त आवेदन-पत्रों की स्क्रूटनी कराकर किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 तथा आदर्श नियम, 2016 के प्राविधानों के अंतर्गत चयन की कार्यवाही किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति के माध्यम से दो माह में पूर्ण करायेंगे।

वर्तमान में संचालित राजकीय गृहों या पंजीकृत व मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संस्थाओ द्वारा संचालित गृहों एवं उसके संचालकों में से भी उपयुक्त सुविधा (FIT FACILITY) एवं उपयुक्त व्यक्ति (FIT PERSON) का चयन किया जा सकता है। प्रत्येक जनपद में कम से कम एक उपयुक्त सुविधा (FIT FACILITY) एवं उपयुक्त व्यक्ति (FIT PERSON)का चयन किया जायेगा। उपयुक्त सुविधा (FIT FACILITY) एवं उपयुक्त व्यक्ति (FIT PERSON) की अभिरक्षा में बच्चों के रखने की अधिकतम अवधि 30 दिन होगी, किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति द्वारा विशेष परिस्थितियों में कारणों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए बच्चे की आवश्यकता के आधार पर अवधि बढाई जा सकती है। बच्चे का हित सर्वोपरि रहेगा।

1- उपयुक्त सुविधा (FIT FACILITY) :-

उपयुक्त सुविधा हेतु प्रकाशित विज्ञापन के सापेक्ष प्राप्त आवेदन पत्रों को नियम-27(2) के अंतर्गत मान्यता के लिए आवेदन के साथ नियमों, उप नियमों, संगम-ज्ञापन, नियंत्रक निकाय, पदाधिकारियों की सूची, न्यासियों की सूची, पिछले तीन वर्षों के तुलन-पत्र, संस्था या संगठन द्वारा प्रदान की गयी सामाजिक या सार्वजनिक सेवा के पिछले अभिलेख इत्यादि की प्रतियॉ प्राप्त कर निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

(1) उपयुक्त सुविधा (FIT FACILITY) के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित शर्तों का पूर्ण किया जाना आवश्यक है:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1. बच्चों की देखरेख और संरक्षण के आधारभूत मानकों की पूर्ति की जायेगी।
2. उपयुक्त सुविधा (FIT FACILITY) में रखे गये बच्चों को आधारभूत सेवायें प्रदान करेंगे।
3. उपयुक्त सुविधा (FIT FACILITY) में रखे गये किसी बच्चे से किसी भी प्रकार की क्रूरता/शोषण/उपेक्षा या किसी भी प्रकार दुर्व्यवहार नहीं होने देगी।
4. किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति द्वारा समय पर पारित आदेशों का उपयुक्त सुविधा (FIT FACILITY) द्वारा अनुपालन किया जायेगा।
5. ऐसी संस्था या संगठन से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति यदि किसी अपराध में दोषी सिद्ध हुआ है या किसी अनैतिक कार्य या बच्चे से दुर्व्यवहार या बाल श्रमिक के नियोजन या नैतिक अधमता के अपराध में सम्मिलित हुआ है, तो ऐसी संस्था को उपयुक्त सुविधा (FIT FACILITY) के रूप में मान्यता प्रदान नहीं की जायेगी।

(2) किसी भी संस्था को उपयुक्त सुविधा हेतु मान्यता दिये जाने का विशेषाधिकार किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति का होगा।

(3) किसी भी संस्था में उपयुक्त सुविधा (FIT FACILITY) के रूप में मान्यता दिये जाने से पूर्व जिला परिवीक्षा अधिकारी द्वारा उपयुक्तता के दृष्टिगत किशोर न्याय नियमावली, 2016 के नियम-27(4) के अंतर्गत निहित प्रारूप-39 के अंतर्गत समुचित निरीक्षण एवं जांच की जायेगी।

(4) किसी भी संस्था अथवा संगठन द्वारा मान्यता के संदर्भ में आवेदन करने के उपरान्त किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति द्वारा आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों की अवधि में निर्णय लिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था/संगठन का निरीक्षण किशोर न्याय अधिनियम की धारा-54 के अधीन जिला निरीक्षण समिति के द्वारा किया जायेगा। जिला निरीक्षण समिति द्वारा किये गये निरीक्षण में प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त होने पर मान्यता प्राप्त उपयुक्त संस्था/संगठन की मान्यता स्वतः रद्द मानी जायेगी।

(6) मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था/संगठन की सूची बाल न्यायालय, विशेष किशोर पुलिस इकाई, जिला बाल संरक्षण इकाई के अतिरिक्त किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति के पास रहेगी। बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड अल्पकालिक पुनर्वास व्यवस्था हेतु उपयुक्त संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त संस्था/संगठन में रखने के आदेश पारित कर सकती है।

(7) मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था/संगठन के रूप में उपयुक्त सुविधा (FIT FACILITY) हेतु निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु बाल कल्याण समिति/किशोर न्याय बोर्ड द्वारा आदेश पारित किया जायेगा:-

1. अल्पकालिक देखरेख
2. चिकित्सीय देखरेख उपचार और विशेषीकृत उपचार
3. मनोचिकित्सीय और मानसिक स्वास्थ्य देखरेख
4. नशा मुक्ति और पुनर्वास
5. शिक्षा
6. व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास
7. गवाह संरक्षण
8. सामूहिक पालन-पोषण देखरेख (Group Care Foster)

(8) मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था/संगठन के रूप में उपयुक्त सुविधा (FIT FACILITY) द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवायें निम्नलिखित होंगी:-

1. भोजन, वस्त्र, जल, स्वच्छता व साफ-सफाई
2. परामर्श सहित मानसिक स्वास्थ्य कार्यकलाप
3. प्राथमिक उपचार सहित चिकित्सीय सुविधायें तथा विशेषीकृत उपचार में सहायता

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. सेतु शिक्षा (Bridge Education) तथा निरन्तर शिक्षा सहित आयु के अनुसार उपयुक्त औपचारिक शिक्षा एवं जीवन कौशल शिक्षा

5. मनोरंजन सुविधायें, खेलकूद, ललित कलायें तथा सामूहिक कार्यकलाप

(9) किसी बच्चे को उपयुक्त सुविधा (FIT FACILITY) में उतनी अवधि के लिये रखा जायेगा, जितनी अवधि किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति को उपयुक्त प्रतीत हो।

2- उपयुक्त व्यक्ति (FIT PERSON) :-

किशोर न्याय बोर्ड अथवा बाल कल्याण समिति द्वारा उपयुक्त व्यक्ति के रूप मे ऐसे व्यक्ति को मान्यता प्रदान की जायेगी, जो आवश्यक अवधि के लिये किसी बच्चे की देखभाल, संरक्षण अथवा उपचार हेतु अस्थाई रूप से लेने के लिए उपयुक्त हो।

1. किशोर न्याय बोर्ड अथवा बाल कल्याण समिति बच्चे को लेने के लिये उपयुक्त व्यक्ति की साख, सम्मान, विशेषज्ञता, व्यावसायिक अर्हतायें, बच्चों के साथ व्यवहार का अनुभव तथा उपयुक्त व्यक्ति (FIT PERSON) की इच्छा के आधार पर व्यक्तियों के पैनल अभिज्ञात करेगी तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम के प्रयोजनों हेतु उपयुक्त व्यक्तियों के रूप में उनका पता लगायेगी।

2. कोई ऐसा व्यक्ति इस नियम के अधीन किसी अपराध का आरोपी अथवा किसी अनैतिक कार्य अथवा बाल शोषण के कार्य अथवा बाल श्रम रोजगार अथवा नैतिक चरित्रहीनता के किसी अपराध में संलग्न व्यक्ति उपयुक्त व्यक्ति नहीं बन सकता है।

3. किशोर न्याय बोर्ड अथवा बाल कल्याण समिति उपयुक्त व्यक्ति (FIT PERSON) हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों की स्क्रूटनी के पश्चात् पात्र व्यक्तियों की साख का सत्यापन करने के बाद, तथा जहां कहीं सम्भव हो, ऐसे किसी व्यक्ति का पुलिस सत्यापन प्राप्त करने के पश्चात् बच्चों के लिये आवश्यकता के आधार पर उपयुक्त व्यक्ति के रूप में किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4. किशोर न्याय बोर्ड अथवा बाल कल्याण समिति उपयुक्त व्यक्ति (FIT PERSON) द्वारा उपलब्ध करायी गयी देखभाल तथा संरक्षण के स्तर से अथवा किन्हीं अन्य कारणों से असंतुष्ट होने पर किसी भी समय उपयुक्त व्यक्ति (FIT PERSON) के रूप में प्रदान की गयी मान्यता को वापस लेने का तर्कसंगत आदेश पारित करेगी।

5. उपयुक्त व्यक्ति (FIT PERSON) की किशोर न्याय बोर्ड अथवा बाल कल्याण समिति द्वारा वापस ली गयी मान्यता की सूचना बाल न्यायालय, विशेष किशोर पुलिस इकाई और जिला बाल संरक्षण इकाई को भेजी जायेगी।

6. वापस ली गयी मान्यता वाले उपयुक्त व्यक्ति के पास रखे गये बच्चों को किशोर न्याय बोर्ड अथवा बाल कल्याण समिति द्वारा अथवा बाल न्यायालय द्वारा किसी अन्य उपयुक्त व्यक्ति (FIT PERSON) के अथवा उपयुक्त सुविधा के साथ अथवा किसी बाल देखभाल संस्था के पास रखा जायेगा।

7. उपयुक्त व्यक्तियों के रूप में मान्यता प्रदान की गयी व्यक्तियों की सूची किशोर न्याय बोर्ड तथा बाल कल्याण समिति के कार्यालय और बाल न्यायालय, किशोर पुलिस इकाई, जिला बाल संरक्षण इकाई और राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी में रखी जायेगी।

8. जहां बच्चे को दूरी तथा/अथवा विषम समय की वजह से किसी बाल देखभाल संस्था में नहीं भेजा जा सकता है, वहां किशोर न्याय बोर्ड अथवा बाल कल्याण समिति अथवा बाल न्यायालय द्वारा ऐसे बच्चों को उपयुक्त व्यक्ति (FIT PERSON) के संरक्षण में रखा जायेगा।

9. ऐसे व्यक्ति को उपयुक्त व्यक्ति (FIT PERSON) की मान्यता प्रदान की जायेगी जो-

1. बच्चे को लेने की क्षमता तथा इच्छा रखेगा, तथा
2. बच्चे की देखभाल और संरक्षण की बुनियादी सेवायें उपलब्ध करायेगा,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

10. बच्चे की आवश्यकता के आधार पर तथा उपयुक्त व्यक्ति (FIT PERSON) के परामर्श से किशोर न्याय बोर्ड अथवा बाल कल्याण समिति अथवा बाल न्यायालय द्वारा उपयुक्त व्यक्ति (FIT PERSON) के पास बच्चे के रखने की अवधि का निर्धारण किया जायेगा।

11. किसी बच्चे को 30 दिन से अधिक अवधि के लिए किसी उपयुक्त व्यक्ति (FIT PERSON) के संरक्षण में नहीं रखा जायेगा। किशोर न्याय बोर्ड या बाल कल्याण समिति द्वारा विशेष परिस्थितियों में कारणों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए बच्चे की आवश्यकता के आधार पर अवधि बढाई जा सकती है।

12. ऐसे मामलों में जहां बच्चे को 30 दिन से अधिक अवधि के लिए देखभाल की जरूरत है, वहां बाल कल्याण समिति बच्चे के पालन-पोषण, देखरेख प्लेसमेंट पर विचार करेगी अथवा बच्चे के लिये अन्य आवासीय विकल्पों पर विचार करेगी।

कृपया किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम-2015 की धारा-51 के साथ पठित नियम-2016 की धारा-27 के तहत उपयुक्त सुविधा (FIT PERSON) एवं धारा-52 के साथ पठित नियम-2016 की धारा-28 के अंतर्गत उपयुक्त व्यक्ति (FIT PERSON) का चयन कराते हुये सूचना निदेशालय महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश तथा महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को अतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उक्तानुसार मान्यता प्राप्त उपयुक्त सुविधा (FIT PERSON) एवं उपयुक्त व्यक्ति (FIT PERSON)की सूची एवं विवरण महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा तैयार कराये गये MIS Software पर भी अपलोड की जानी है।

भवदीया

(रेणुका कुमार)
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-2150(1)/60-1-17, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- सदस्य सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- निदेशक, महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- समस्त प्रधान मजिस्ट्रेट/सदस्य, किशोर न्याय बोर्ड, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त अध्यक्ष/सदस्य, बाल कल्याण समिति, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त उपमुख्य परिवीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त जिला परिवीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राम केवल)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।